न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बेगूसराय

(पीठासीन पदाधिकारी– श्री बिजेन्द्र कुमार)

विविध वाद संख्या– 223/2025
(मूल भरण पोषण वाद सं0–43/2016)

नीतू देवी व अन्य बनाम् मुन्ना कुमार

आदेश दिनांक– 13.07.2026

1. अभिलेख प्रस्तुत किया गया। वाद के पुकार पर उभय पक्ष अपने–अपने विद्वान अधिवक्तागण के साथ उपस्थित हुए। उत्तरवादी की ओर से उसके माह– जून 2026 का वेतन पुर्जा दाखिल किया गया।

2. अभिलेख के अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि मूल भरण–पोषण वाद सं0–43/2016 को इस न्यायालय के आदेश दिनांक–27.01.2023 के द्वारा निर्णीत किया गया है, जिसमें उत्तरवादी को यह आदेश दिया गया है कि वह भरण–पोषण के रूप में आवेदक सं0–1 नीतू देवी एवं आवेदक सं0–02 विवेक कुमार को (उसके बालिग होने तक) क्रमशः 6,000/– रूपये तथा 4,000/– रूपये प्रतिमाह भरण पोषण आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि अर्थात 14.03.2016 से अदा करेगा, साथ ही मुकदमा खर्चा का भी एक–मुश्त 7,500/– रूपये अदा करेगा। वर्तमान में उपरोक्त आदेश के अनुपालन में बकाया/नियमित धनराशि की वसूली हेतु आवेदिका द्वारा यह वाद लाया गया है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि भरण पोषण वाद संख्या– 43/2016 में पारित आदेश दिनांकित 27.01.2023 के अनुपालन में उत्तरवादी के नियोक्ता/वरीय पदाधिकारी को उत्तरवादी के वेतन से भरण पोषण कटौती का आदेश इस न्यायालय द्वारा दिया गया है। प्रस्तुत वाद के सुनवाई के क्रम में दिनांक 05.12.2025 के आदेश से आवेदिका को बकाया भरण पोषण की राशि के संबंध में गणना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, किन्तु बार बार निर्देश दिये जाने के बावजूद भी आवेदिका के द्वारा उपरोक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। आज न्यायालय के समक्ष आवेदिका का कहना है कि उसे उत्तरवादी के वेतन से कटौती के उपरांत उसके खाता में प्रतिमाह 10,000/– भरण पोषण की राशि प्राप्त हो रही है, जिसकी पुष्टि उत्तरवादी के द्वारा भी किया गया। उत्तरवादी की ओर से प्रस्तुत माह जून

2026 के वेतन पुर्जा में भी न्यायालय द्वारा आदेशित भरण पोषण की राशि 10,000/– की कटौती दर्शायी गयी है। बकाया भरण पोषण गणना प्रतिवेदन के अभाव में, इस बिन्दू पर न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यह माना जा सकता है कि आवेदिका को प्रस्तुत विविध वाद के माध्यम से मांगा गया अनुतोष प्राप्त हो चुका है, जिसके फलस्वरूप उसे भरण पोषण के रूप में 10,000/– रूपये प्रतिमाह उसके बैंक खाता में प्राप्त हो रही है। जिस कारण अब विविध वाद को आगे लम्बित रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः भरण पोषण के आदेश की अनुपालना को मानते हुए वर्तमान विविध वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। यदि भविष्य में उत्तरवादी की ओर से भरण पोषण की आदेशित धनराशि का भुगतान आवेदिका को नहीं किया जाता है, अथवा कोई बकाया धनराशि बनता है तो उस संबंध में आवेदिका विधि अनुसार अपनी पृथक विविध याचिका दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है। कार्यालय आवश्यक कार्यवाही के उपरांत अभिलेख को अभिलेखागार में जमा कराये।

लेखापित

ह0
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, बेगूसराय।